न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)

प्रकरण संख्या 23/2017

निर्णय दिनांक : 5-1-18

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

पटवारी हल्का आजऊ

बनाम

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति जाट निवासी आजऊ

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रकरण में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है पटवार हल्का आजऊ द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 453/1030/0.09 है. वाके ग्राम आजऊ किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है. पर सरसों बोकर **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति जाट निवासी आजऊ** द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट पटवारी दर्ज रिकार्ड की जाकर गैरसायल को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया। जिसकी उसे विधिवत् तामील हो चुकी है। गैरसायल उपस्थित। गैरसायल द्वारा जबाब में न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर कुम्हेर के स्थगन की छायाप्रति पेश की जिसमें ख0न0 461,458,543 पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत निर्देशित किया गया है। गैरसायल द्वारा असालतन या वकालतन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर उसे कोई अनुतोष दिया जा सके। आराजी चूंकि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, इस आराजी का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है।

गैरसायल द्वारा गत संवत 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसका प्रकरण संख्या 36/16 न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर में दर्ज हआ था, इसमें निर्णय दिनांक 09.12.2016 से अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के एवं खडी फसल को नीलाम करने के आदेश दिये गये थे। भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8.3.2017 को मौके पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए फसल की नीलामी की गई। विवादित आराजी राजकीय भूमि है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में हल्का पटवारी श्री दिनेशचन्द के बयान दर्ज किये। रिपोर्ट व बयान पटवारी से यह साबित होता है कि गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि गै. मु. रास्ता पर सरसों बोकर अतिक्रमण किया हुआ है। तथा उसके द्वारा यह अतिक्रमण दुबारा किया गया है। अतः प्रतीत होता है कि गैरसायल आदतन अतिक्रमी है।

अतः आदेश है कि ख0न0 461,458,453 की सीमा तक स्थगन को प्रभावी मानते हुए गैरसायल को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी करार देते हुए उसे अतिक्रमित आराजी ख0न0 453/1030/0.09 है0 में से 0.01 है0 पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 0.22 की पचास गुना राशि रू. 11 के अर्थ दण्ड एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात् नब्बे दिवस के साधारण कारावास से भी दण्डित किया जाता है। थानाधिकारी कुम्हेर को वारण्ट गिरफ्तारी जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी कराई जावे। पटवारी / भू अभिलेख निरीक्षक को, बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जावे, तथा अनुपालना उपरांत नियमानुसार अभिलेख में जमा कराई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ता. कै. न 4 वर्ष 20..17-18.. पर वांछित 11 पृष्ठ संख्या.... 16 .... की कायमी की गई।
रा. ला. लै. कुम्हेर

तहसीलदार
तहसील-कुम्हेर (भरतपुर)